ई05424

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल भवन बी– ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून– 248001.
दूरभाष :– 0135-2676260, फैक्स :– 0135-2676177,

पत्रांक 2088 / वि0अनु0 / 02 / शा0अनु0–217430(18) / 2024–25 दिनांक : 12/07/2024

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
पौड़ी / कोटद्वार / चमोली / रुद्रप्रयाग / नई टिहरी
घनसाली / पुरोला / नैनीताल / लालकुऑ / रामनगर
अल्मोड़ा / रानीखेत / पिथौरागढ़ / डीडीहाट / चम्पावत / बागेश्वर।

विषयः **उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जलस्रोतों का संरक्षण एवं संबंर्धन हेतु हैण्ड पम्पों को वर्षा जल से रिचार्ज कराये जाने हेतु धनाबंटन के संबंध में।**

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं0–217430 / 2024 ई073775 / 2024 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 13 जून, 2024 से उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जलस्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हैण्ड पम्पों को वर्षा जल से रिचार्ज कराये जाने की योजना की विभागीय टी.ए.सी. द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल लागत **₹ 199.83** लाख धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रथम किश्त के रुप में **₹ 119.898** लाख(रु. एक करोड़ उन्नीस लाख नवासी हजार आठ सौ मात्र) व्यय हेतु स्वीकृत की गयी है। वर्तमान में धन की उपलब्धता के सापेक्ष शाखावार धनाबंटन निम्नवत हैः–

(धनराशि रु. लाख में)

क्र.सं.	शाखा का नाम	अनुमोदित हैण्डपम्पों की संख्या	वर्तमान में आबंटित धनराशि के सापेक्ष रिचार्ज किये जाने वाले हैण्डपम्पों की संख्या	दर प्रति हैण्डपम्प	श्शा.सं. 217430 दि. 13.06.24 से अवमुक्त धनराशि	प्राप्त धनराशि के सापेक्ष सैन्टेज की कटौती	शाखाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	*2*	3	4	4	5	6	7
1	पौड़ी	12	7	0.894	6.258	0.695	5.563
2	कोटद्वार	40	24	0.894	21.558	2.497	19.061
3	चमोली	17	9	0.894	8.046	0.894	7.152
4	रुद्रप्रयाग	8	5	0.894	4.470	0.497	3.973
5	नई टिहरी	12	8	0.894	7.152	0.795	6.357
6	घनसाली	1	1	0.894	0.894	0.099	0.795
7	पुरोला	4	3	0.894	2.682	0.298	2.384
8	नैनीताल	6	4	0.894	3.576	0.000	3.576
9	लालकुआं	4	3	0.894	2.682	0.000	2.682
10	रामनगर	15	9	0.894	8.046	0.000	8.046
11	अल्मोड़ा	8	5	0.894	4.470	0.000	4.470
12	रानीखेत	15	9	0.894	8.046	0.000	8.046
13	पिथौरागढ़	26	14	0.894	12.516,	0.000	12.516
14	डीडीहाट	25	14	0.894	12.516	0.000	12.516
15	चम्पावत	13	8	0.894	7.152	0.000	7.152
16	बागेश्वर	18	11	0.894	9.834	0.000	9.834
	योग–	**224**	**134**		**119.898**	**5.775**	**114.123**

सं० I/217430/2024 ई0.73775/2024

प्रेषक,

कर्मेन्द्र सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक : 13 जून, 2024

विषय:- **उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जलस्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हैण्ड पम्पों को वर्षा जल से रिचार्ज कराये जाने की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-1301/टी0ए0सी0/2024-25 दिनांक 04 जून, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जलस्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हैण्ड पम्पों को वर्षा जल से रिचार्ज कराये जाने की योजना की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल लागत ₹ 199.83 लाख (₹ एक करोड निन्यानबे लाख तिरासी हजार मात्र) धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 119.898 लाख (एक करोड उन्नीस लाख नवासी हजार आठ सौ मात्र) धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा प्रश्नगत शासकीय भवनों पर वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का कार्य सम्बन्धित विभागों की अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत ही किया जायेगा।

(v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

Generated from eOffice by YASHWANT ASWAL, RO-YA, REVIEW OFFICER, Drinking Water Department on 13/06/2024 10:12 AM